मु0न0:– 22 / 2024 उनवान:– रोहित कुमार बनाम अनिल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 22 / 2024 रजू दिनांक:– 22.11.2024

पीठासीन अधिकारी:– पूजा मीना (आर.ए.एस)

उनवान

रोहित कुमार मीना पुत्र भरतलाल मीना जाति मीना निवासी विशनपुराचारण तहसील टोडाभीम जिला करौली।

वादी

बनाम

1. अनिल कुमार पुत्र भरतलाल मीना
2. अशोक पुत्र भरतलाल मीना
3. फूलबाई पत्नि भरतलाल मीना
4. विक्रम पुत्र भरतलाल मीना
   निवासीयान विशनपुरा चारण तहसील टोडाभीम जिला करौली।
5. तहसीलदार टोडाभीम जिला

प्रतिवादीगण

दावा बावत इस्तकरारहक व इन्द्राज दुरूस्ती

उपस्थिति:– श्री हंसराम गूर्जर एडवोकेट वादी

पेरोकार सरकार तहसीलदार टोडाभीम

निर्णय दिनांक:– 23.05.2025

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम विशनपुरा चारण की आराजी ख0न0 25/0.05, 26/0.05, 47/0.01, 143/0.20, 144/0.29, 148/0.31, 22/0.17, 23/0.18, 24/0.14, 27/0.05, 28/0.11, 29/0.09, 30/0.11, 31/0.12, 33/0.19, 34/0.12, 35/0.12, 36/0.20, 37/0.22, 39/0.21, 32/0.19, 41/0.03, 42/0.07, 43/0.03, 44/0.03, 45/0.03, 46/0.03 मे वादी 1/60 हिस्से का, ख0न0 305/0.01, 40/0.11, 94/0.44, मे वादी 1/30 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। बकिया हिस्से के अन्य सहखातेदार दर्ज रिकार्ड है। परन्तु वादी का नाम रोहित कुमार मीना पुत्र भरतलाल मीना के स्थान पर सहवन से रवि पुत्र भरतलाल दर्ज को गया है। जबकि अन्य दस्तावेज मे वादी का नाम रोहित कुमार मीना पुत्र भरतलाल मीना दर्ज है जिसका दुरूस्त होना आवश्यक है एवं न्यायसंगत है। ग्राम विशनपुरा चारण मे वादी रोहित कुमार मीना को घर पर रोहित कुमार मीना के नाम से पुकारते थे इसलिये सहवन से रोहित कुमार मीना के स्थान पर राजस्व कर्मचारियो ने रवि दर्ज कर दिया है इस प्रकार वादी रवि पुत्र भरतलाल के स्थान पर रोहित कुमार मीना पुत्र भरतलाल मीना दुरूस्त कराने का अधिकारी है।

बांका दिनांक 14.11.2024 को जब दुरुस्ती कराने के लिए तहसीलदार टोडाभीम से कहा तो उन्होने कहा कि तुम उक्त नाम को दुरूस्त कराने के लिए सक्षम न्यायालय के दुरूस्ती का दावा पेश करो, इसलिये यह वादपत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बावत इस्तकरारहक व इन्द्राज दुरूस्ती किया जाकर वादपत्र मे वर्णित आराजीयात ग्राम विशनपुरा चारण मे रवि पुत्र भरतलाल

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:36:08 IST
Reason: SelfAttested

हजफ फरमाते हुये उसके स्थान पर रोहित कुमार मीना पुत्र भरतलाल मीना के बतौर खातेदार काश्तकार घोषित करने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया, वादी वकील ने प्रतिवादी न0 1 ता 4 फोरमल पक्षकार होने के कारण इनके विरूद्व कोई कार्यवाही नही चाहने बावत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रतिवादी न0 1 ता 4 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी न0 5 पैरोकार सरकार ने उपस्थित होकर जबाब पेश किया कि वर्तमान जमाबन्दी के खाता न0 133, 134, 135, 136, 137, 138 मे कुल किता 30 कुल रकवा 3.91 है0 मे वादी मुताबिक जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सानुसार खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। वादी का नाम राजस्व रिकार्ड मे लटूर पुत्र श्योनारायण के फौत होने पर विरासत नामांतकरण न0 131/5.2.13 के द्वारा दर्ज हुआ था। वादी का नाम तत्कालीन पटवारी द्वारा नामांतकरण मे सजरा अनुसार एवं जॉच रिपोर्ट अनुसार सही दर्ज किया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र धारा 136 का नही होकर अपील नामांतकरण का बनता है। इसलिये वादी का वादपत्र खारिज फरमाया जावे।

वादी वकील व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वादी वकील ने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि वादपत्र मे वर्णित आराजीयात ग्राम विशनपुरा चारण मे वादी जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सानुसार का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। बकिया हिस्से के अन्य सहखातेदार दर्ज रिकार्ड है। परन्तु वादी का नाम रोहित कुमार मीना पुत्र भरतलाल मीना के स्थान पर सहवन से रवि पुत्र भरतलाल दर्ज को गया है। जबकि अन्य दस्तावेज मे वादी का नाम रोहित कुमार मीना पुत्र भरतलाल मीना दर्ज है, ग्राम विशनपुरा चारण मे वादी रोहित कुमार मीना को घर पर रोहित कुमार मीना के नाम से पुकारते थे इसलिये सहवन से रोहित कुमार मीना के स्थान पर रवि दर्ज कर दिया है अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बावत इस्तकरारहक व इन्द्राज दुरूस्ती किया जाकर वादपत्र मे वर्णित आराजीयात ग्राम विशनपुरा चारण मे रवि पुत्र भरतलाल को हजफ फरमाते हुये उसके स्थान पर रोहित कुमार मीना पुत्र भरतलाल मीना के बतौर खातेदार काश्तकार घोषित करने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

पैरोकार सरकार तहसीलदार टोडाभीम ने जबाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि वर्तमान जमाबन्दी के खाता न0 133, 134, 135, 136, 137, 138 मे कुल किता 30 कुल रकवा 3.91 है0 मे वादी मुताबिक जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सानुसार खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। वादी का नाम राजस्व रिकार्ड मे लटूर पुत्र श्योनारायण के फौत होने पर विरासत नामांतकरण न0 131/5.2.13 के द्वारा दर्ज हुआ है। वादी का नाम तत्कालीन पटवारी द्वारा नामांतकरण मे सजरा अनुसार एवं जॉच रिपोर्ट अनुसार सही दर्ज किया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र धारा 136 का नही होकर अपील नामांतकरण का बनता है। इसलिये वादी का वादपत्र खारिज फरमाया जावे।

वादी वकील व पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया पत्रावली मे शामिल ग्राम विशनपुरा चारण की जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के खा[illegible] 134, 135, 136, 137, 138 मे कुल किता 30 कुल रकवा 3.91 है0 [illegible] मीना दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार टोडाभीम द्वारा प्रस्तुत जबाब के साथ पत्राव[illegible] शामिल नामांतरकण न0 131 दिनांक 05.01.2013 मे बने सजरे मे रवि पुत्र भरतलाल का अंकन है इसी अनुरूप वर्तमान जमाबन्दी मे खातेदारी दर्ज हुई है। इसी अनुसार पैरोकार सरकार तहसीलदार टोडाभीम से

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:36:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

मु0न0:— 22/2024 उनवानः— रोहित कुमार बनाम अनिल

प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रकरण इन्द्राज दुरूस्ती का नही होकर अपील नामांतकरण का बताया गया है, चुकि वादी द्वारा केवल राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत दायर ना होकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम घोषणा खातेदारी का है प्रस्तुत वादपत्र मे घोषणात्मक प्रकृति व्यापक व सम्पूर्ण है अतः त्वरित, न्यायहित मे निर्णय तथा रिपोर्ट को स्वीकारते हुए भी वादी के वादपत्र को स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः ग्राम विशनपुरा चारण की आराजी ख0न0 25/0.05, 26/0.05, 47/0.01, 143/0.20, 144/0.29, 148/0.31, 22/0.17, 23/0.18, 24/0.14, 27/0.05, 28/0.11, 29/0.09, 30/0.11, 31/0.12, 33/0.19, 34/0.12, 35/0.12, 36/0.20, 37/0.22, 39/0.21, 32/0.19, 41/0.03, 42/0.07, 43/0.03, 44/0.03, 45/0.03, 46/0.03, 305/0.01, 40/0.11, 94/0.44 है0 मे रवि पुत्र भरतलाल के स्थान पर रोहित कुमार मीना पुत्र भरतलाल दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। वादी का जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सा यथावत रहेगा। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.05.2025 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:36:08 IST
Reason: SelfAttested